

Guidelines for Applicants

1. Weightage, wherever applicable, would be given after verification of the uploaded documents and the applicant shall be provided with a maximum weightage of 10 percent.
2. List of Documents to be uploaded online by the applicant:
 - Scanned copy of Passport size photograph
 - Scanned copy of signature
 - Matric (10th) Marksheet
 - 10+2 Marksheet
 - Migration Certificate (required in case of other than Haryana School Education Board)
 - Character Certificate
 - NCC/ NSS/Sports Certificate for weightage, wherever applicable
 - Bonafide Resident of Haryana Certificate, if applicable
 - Income Certificate required for claiming benefits of EWS or SC / BC Scholarships , if applicable
 - Reserved Category Certificate, if applicable
 - Gap Year Affidavit, if applicable
3. Name of the applicant will appear in the Merit List after online verification of documents as per eligibility/merit.
4. General category students can now opt for EWS (Economically Weaker Section) quota within the Haryana General Quota. However, they need to upload the required certificate for the same.
5. After final selection, the admission charges shall be paid through online mode only. There is no provision of payment of admission charges physically at the College.
6. All admissions done are provisional. College / University will cancel any such admission if the information provided by the students is found to be fictitious /bogus at any stage and the student concerned will be held solely responsible for this.

7. If any document of a student is rejected due to some reasons during the process of online verification, a system generated SMS will be sent to the applicant and applicant will be required to re-upload the correct document on the online admission portal by logging in his/her account within 48 hours of receiving that SMS. No physical presence shall be required to revise the document.

आवेदकों के लिए दिशा निर्देश

1. वेटेज, जहां भी लागू हो, अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के बाद दिया जाएगा और आवेदक को अधिकतम 10 प्रतिशत का वेटेज दिया जाएगा।
2. आवेदक द्वारा ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :
 - पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की स्कैन की गई कॉपी
 - हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतिलिपि
 - मैट्रिक (10 वीं) का अंकपत्र (मार्कशीट)
 - 10 + 2 का अंकपत्र (मार्कशीट)
 - प्रवासन प्रमाणपत्र (हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अलावा अन्य किसी भी बोर्ड के लिए आवश्यक)
 - चरित्र प्रमाणपत्र
 - एनसीसी / एनएसएस / खेल प्रमाणपत्र (वेटेज के लिए), जहां भी लागू हो
 - हरियाणा प्रामाणिक निवासी प्रमाणपत्र, यदि लागू हो तो
 - ईडब्ल्यूएस या एससी / बीसी छात्रवृत्ति के लाभ का दावा करने के लिए आय प्रमाणपत्र, यदि लागू हो तो
 - आरक्षित श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि लागू हो तो।
 - वर्ष अंतराल (गैप ईयर) होने पर शपथपत्र (एफिडेविट), यदि लागू हो तो।
3. पात्रता/योग्यता के अनुसार दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन के बाद आवेदक का नाम मेधा सूची (मेरिट लिस्ट) में दिखाई देगा।

4. सामान्य श्रेणी के छात्र अब हरियाणा जनरल कोटा के भीतर ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) कोटा का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, उन्हें इसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।
5. अंतिम चयन के बाद, प्रवेश शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। कॉलेज में जाकर सीधे प्रवेश शुल्क भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है।
6. किए गए सभी प्रवेश अनंतिम (अस्थाई) हैं। यदि किसी भी स्तर पर छात्रों द्वारा प्रदान की गई जानकारी गलत/ फर्जी पाई गई तो कॉलेज/विश्वविद्यालय किसी भी ऐसे प्रवेश को रद्द कर देगा और इसके लिए संबंधित छात्र को पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाएगा।
7. यदि ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान किसी छात्र का कोई दस्तावेज अस्वीकृत कर दिया जाता है तो आवेदक को सिस्टम जनरेटेड एसएमएस भेज दिया जाएगा और आवेदक को एसएमएस प्राप्त करने के 48 घंटों के अंदर प्रवेश पोर्टल पर सही दस्तावेज पुनः अपलोड करने की आवश्यकता होगी। दस्तावेज फिर से अपलोड करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी।